भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *58

दिनांक 03 फरवरी 2026 / 14 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सल मुक्त भारत

†***58 श्री रमेश अवस्थीः**

श्रीमती कमलजीत सहरावतः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेहतर अंतर-राज्यीय समन्वयन और समय-समय पर नेतृत्व स्तर पर समीक्षा के फलस्वरुप 31 मार्च, 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों और पुलिस स्टेशनों के कवरेज में कमी के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों सहित दिसम्बर, 2025 तक तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास विशेषकर उक्त राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से जुड़े पूर्व कैडरों के आत्मसमर्पण, गिरफ्तारी और सफल पुनर्वास का ब्यौरा हैं; और

(ङ) यदि हां, तो दिसम्बर, 2025 तक तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *58 दिनांक 03.02.2026

"नक्सल मुक्त भारत" के संबंध में दिनांक 03.02.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *58 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' के विषय राज्य सरकारों के पास हैं। हालांकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है। वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, वर्ष 2015 में "एलडब्ल्यूई से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना" अनुमोदित की गई थी। इसमें एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक पहलें (इंटरवेंशन), स्थानीय समुदायों के अधिकारों तथा हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

(i) सुरक्षा के मामले में, भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियनें प्रदान करके और भारतीय रिजर्व बटालियनों का गठन करके, हेलीकॉप्टर सहायता, शिविर संबंधी अवसंरचना को मजबूत करके, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु निधियों, उपकरणों तथा हथियारों, आसूचना के आदान-प्रदान, फॉर्टीफाइड पुलिस स्टेशनों (FPSs) के निर्माण आदि का प्रावधान करके वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकारों की सहायता करती है।

- वर्ष 2014-15 से अब तक राज्यों के क्षमता निर्माण के लिए, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को 3681.73 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, ताकि बलों के परिचालन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं संबंधी व्यय, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के पुनर्वास, वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा के कारण मारे गए नागरिकों/वीरगति को प्राप्त हुए सुरक्षा कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि आदि प्रदान की जा सके।
- वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने व्यापक आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियां तैयार की हैं। भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के भाग के रूप में आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति के माध्यम से इस प्रयास में राज्यों की सहायता भी करती है। भारत सरकार एसआरई योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास पर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ उच्च रैंक वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 5 लाख रुपये और अन्य वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 2.5 लाख रुपये का तत्काल अनुदान शामिल है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत हथियारों/गोला-बारूद के समर्पण के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, तीन साल के लिए 10,000 रुपये के मासिक वजीफे के साथ अपनी पसंद के धंधे/व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी प्रावधान है। प्रभावित राज्यों ने अपनी समर्पण-सह-पुनर्वास नीतियों को और संशोधित किया है ताकि उन्हें लाभप्रद और समकालीन बनाया जा सके।

- राज्यों के पुलिस बलों को सुसज्जित करने और आधुनिक बनाने के प्रयासों को "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" योजना के तहत पूरक बनाया गया है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को हथियार, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, प्रशिक्षण, पुलिस स्टेशनों के निर्माण, गतिशीलता और पुलिस आवास और अन्य पुलिस बुनियादी ढांचे आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसकी उप-योजना यानी विशेष अवसंरचना योजना (SIS) के तहत, LWE प्रभावित राज्यों को राज्य के विशेष बलों, राज्य खुफिया शाखाओं (SIBs), जिला पुलिस और फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशनों (FPSs) के सुदृढ़ीकरण के लिए 1761 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है। सुरक्षा बुनियादी ढांचे पर भारत सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण रहा है। अब तक 656 फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं।

- वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता (ACALWEMS) योजना के अंतर्गत शिविरों की बुनियादी संरचना और वामपंथी उग्रवाद से निपटने संबंधी ऑपरेशनों के लिए हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2014-15 से अब तक इस योजना के माध्यम से केंद्रीय एजेंसियों को 1224.59 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

- वामपंथी उग्रवाद के वित्तीय प्रवाह को रोकने और सीपीआई (माओवादी) तथा इसके वित्तीय समर्थकों के बीच सांठ-गांठ का खुलासा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद के लिए निधियों और अन्य संसाधनों के प्रवाह को रोकने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई के लिए, राज्य पुलिस द्वारा विभिन्न तरीकों से केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से समन्वित कार्रवाई की जा रही है।

(ii) विकास के मामले में, भारत सरकार की प्रमुख (फ्लैगशिप) योजनाओं के अलावा, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कई क्षेत्रों में विशिष्ट पहल की गई हैं, जिसमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार संपर्क में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष बल दिया गया है, जिनमें से कुछ पहल निम्नानुसार हैं:

- सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, 02 वामपंथी उग्रवाद विशिष्ट योजनाओं अर्थात् सड़क आवश्यकता योजना (RRP) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना (RCPLWEA) के अंतर्गत 15,016 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 9,233 टावर चालू हो चुके हैं।

- कौशल विकास के लिए, 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और 49 कौशल विकास केन्द्र (SDC) खोले गए हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 179 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRS) को कार्यशील किया गया है।
- वित्तीय समावेशन के लिए डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 6,025 डाकघर खोले हैं। वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में 1,804 बैंक शाखाएं और 1,321 एटीएम खोले गए हैं।
- विकास को और गति देने के लिए, विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत, वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में सार्वजनिक अवसंरचना में अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए निधियां उपलब्ध करायी गई हैं। वर्ष 2017 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 3,953.67 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(iii) 'राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2015' के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा में लगातार कमी आई है और इसका भौगोलिक फैलाव भी कम हुआ है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहे वामपंथी उग्रवाद पर हाल के दिनों में काफी अंकुश लगाया गया है और इसे केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 2018 में 126 से घटकर दिसंबर-2025 में केवल 08 हो गई, जिसमें केवल 3 जिलों को अब सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाएं वर्ष 2010 में 1936 के उच्च स्तर से 88% घटकर वर्ष 2025 में 234 हो गई हैं। नागरिकों और सुरक्षा बलों की परिणामी मृत्यु भी वर्ष 2010 में 1005 के उच्च स्तर से 90% घटकर वर्ष 2025 में 100 हो गई है।

वर्ष 2025 में, सुरक्षा बलों ने 364 नक्सलियों को मार गिराया, 1022 को गिरफ्तार किया और 2337 से आत्मसमर्पण करवाया। गिरफ्तार किए गए और आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्योरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की सूचना देने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या 2010 में 465 पुलिस स्टेशनों से घटकर वर्ष 2025 में 119 पुलिस स्टेशन हो गई है। वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की सूचना देने वाले जिलों और पुलिस स्टेशनों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्योरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(iv) भारत सरकार हमारे देश से वामपंथी उग्रवाद के पूर्ण उन्मूलन के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद से मुक्त होने वाले क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

******

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *58, दिनांक 03.02.2026

अनुलग्नक- I

वामपंथी उग्रवाद से निपटने के ऑपरेशनों में उपलब्धियां

वर्ष	गिरफ्तार वामपंथी उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी
2019	1276	440
2020	1110	475
2021	1153	736
2022	816	496
2023	924	376
2024	1090	881
2025	1022	2337
2026 (15 जनवरी तक)	18	139
कुल	7409	5880

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *58, दिनांक 03.02.2026

अनुलग्नक- II

LWE द्वारा की गई हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जिलों और पुलिस स्टेशनों/PSs की संख्या

Year	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026 (till Jan. 29)	
	Districts	PSs	Districts	PSs	Districts	PSs	Districts	PSs	Districts	PSs	Districts	PSs	Districts	PSs	Districts	PSs
Andhra Pradesh	2	7	2	7	2	6	1	3	1	1	1	1	1	4	0	0
Bihar	14	30	7	23	5	13	6	11	1	4	2	2	3	4	0	0
Chhattisgarh	12	85	12	78	11	76	12	75	12	80	12	60	10	52	3	9
Jharkhand	16	80	16	70	13	56	16	58	15	60	13	52	11	36	2	2
Karnataka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Kerala	2	2	1	2	0	0	0	0	2	3	1	1	0	0	0	0
Madhya Pradesh	2	2	2	8	2	10	1	7	1	5	2	7	2	9	0	0
Maharashtra	2	12	1	8	2	8	1	4	2	6	1	11	1	5	0	0
Odisha	8	22	8	21	9	20	7	15	7	10	7	10	3	7	0	0
Telangana	3	5	4	9	2	2	2	3	1	2	2	6	1	2	0	0
Total	61	245	53	226	46	191	46	176	42	171	42	151	32	119	5	11

******